संख्या-54/2020/3495/71-2-20-पी-30/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान हेतु उपकरण एवं संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट(2020-21)/2020/1381, दिनांक 08.16.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वार संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित उपकरणों की सूची, जो गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी परन्तु क्रयादेश निर्गत न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में क्रय हेतु अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-3322/71-2-2020-पी-30/2016 टी0सी-1, दिनांक 17 अगस्त, 2020 द्वारा रू0 1563.00 लाख के उपकरणों की अनुमोदित सूची संस्थान को प्रेषित की गई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ हेतु मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 17-08-2020 द्वारा अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 1563.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड तिरसठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) वर्ष 2019-20 में अनुमोदित ऐसे उपकरण जिनकी लागत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिक आंकलित की गयी है, की दरों के संबंध में फर्म से निगोशियेशन करते हुए औचित्यपूर्ण दरों के आधार पर फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये ही की जायेगी।
3) जिन उपकरणों के स्पेशिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
5) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
9) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
10) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियों न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
11) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15) संस्थान के वित्त नियंत्रक्/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

16) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

17) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

18) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

19) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

20) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित उपकरणों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31 -चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ -26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-54/2020/3495(1)/71-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।